कार्यालय अंचल अधिकारी, सिमरिया।

–:आदेश:–

सकलदीप साव वगै0, पिता–स्व0 धनेश्वर साव, ग्राम–अमगांवा
बनाम्
सुधीर साव वगै0, पिता– स्व0 कमलधारी साव, ग्राम–अमगांवा

केस का प्रकार:–विविध वाद सं0– 40/2024–25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

अभिलेख आदेश हेतु उपस्थापित किया गया है। सकलदीप साव, तुलसी साहु वगै0 ग्राम–अमगावां द्वारा आवेदन देकर अवगत कराया गया कि मौजा–कुरूम के खाता सं0–04 सर्वे खतियान के अनुसार 14.42 ए0 भूमि का लगान रसीद बिहारी महतो के नाम से निर्गत हो रहा था, जो मेरे दादा हैं। मौजा–कुरूम के खाता सं0–03 सर्वे खतियान के अनुसार 14.48 ए0 भूमि का लगान रसीद प्रयाग महतो के नाम से निर्गत हो रहा था। सकलदीप साव, तुलसी साहु वगै0 द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मेरा खतियान 03 एवं 04 का कुल रकवा–28.90 ए0 होता है जिसमें सुधीर साव वगै0 इस खतियान के अंतर्गगत नहीं आते हैं।

द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि खानगी बंटवारा के अनुसार हमलोगों का लगान रसीद निर्गत की गई है एवं हमलोग खाता–02,03,04,05 एवं 06 पर कई वर्षों से जोत आबाद करते आ रहे हैं।

उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया एवं दोनो पक्षों द्वारा राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया। राजस्व कागजात अभिलेख में संलग्न।

प्रथम पक्ष– प्रथम पक्ष के द्वारा खाता सं0–03 एवं 04 का ऑनलाईन खतियान के साथ–साथ ऑफलाईन खतियान भी प्रस्तुत किया गया। एवं खाता सं0–03 व 04 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया जिसमें खाता सं0–04 बिहारी महतो के नाम से वर्ष–1962–63 का लगान रसीद सं0–570114 एवं खाता सं0–03 का लगान रसीद वर्ष–1960–61 का लगान रसीद सं0–258228 प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जिक्र किया गया कि खतियान में सन्निहित खाता सं0–02,05,06 के साथ खाता सं0–03,04 को सम्मिलित कर लगान रसीद निर्गत की गई है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के W.P.(C) No 1345 of 2011 के कण्डिका (B) के पारा–09 के गाइडलाइन अनुसार सिर्फ रेंट रिसीप्ट के आधार पर मालिकाना हक नहीं दी जा सकती है।

द्वितीय पक्ष– द्वितीय पक्ष के द्वारा सादा बंटवारानामा की छायाप्रति उपलब्ध कराया

Scanned by CamScanner

गया एवं ऑनलाईन खतियान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खाता सं0–03,04,05,06 है। साथ हीं साथ खाता सं0–02 धनु महतो, खाता सं0–03 नारायण महतो वल्द मानिक महतो, खाता सं0–04 मीना महतो वल्द मानिक महतो, खाता सं0–05 सीदर महतो वल्द बुधन महतो से संबंधित ऑफलाईन खतियान उपलब्ध कराया गया। खाता सं0–02,03,04,05 एवं 06 का लगान रसीद वर्ष–1965–66 लगान रसीद सं0–321810 एवं लगान रसीद वर्ष–2015–16 लगान रसीद सं0–011324 प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जिक्र किया गया कि आवेदकगण आपस में खानगी बंटवारा करते आ रहें, जिसके अनुसार लगान रसीद निर्गत की गई है। प्रथम पक्ष के द्वारा सादा बंटवारानामा को सही नहीं माना गया है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है, जिसमे उल्लेखित है कि मौजा–कुरूम थाना नं0–196 खाता सं0–02,03,04,05,06 प्लॉट सं0– दर्ज नहीं है एवं रकवा–5.2950 ए0 भूमि पंजी–II के पृष्ठ सं0–14/1 पर इश्वर साव वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष–1993–96 तक निर्गत है, अन्य पृष्ठ संख्या–20/1, 15/1, 13/1 पर जमाबंदी कायम है, लेकिन परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम रिक्त है एवं यह भी उल्लेख किया गया है कि जमाबंदी रैयत के वंशज को खाता सं0–02,03,04,05 एवं 06 में जोत आबाद एवं दखल कब्जा अस्पष्ट है एवं स्थल जाँच से यह भी तथ्य सामने आया कि सभी पक्षों का कब्जा दिये गये प्लॉट में नहीं है तथा खानगी बंटवारा के अनुसार नहीं है।

उपरोक्त दोनो पक्षों/माननीय विद्वान अधिवक्ता के ब्यान, प्रस्तुत साक्ष्य एवं राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं सभी बिन्दुओं के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला हक हकियत का है तथा इसका निपटारा सक्षम न्यायालय से हीं किया जाना उचित प्रतीत होता है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

21/5/25
अंचल अधिकारी,
सिमरिया

21/5/25
अंचल अधिकारी,
सिमरिया।

Digitally signed by GOURAV KUMAR ROY
Date: 2025.07.08 09:05:34 +05:30
Location: 192.168.159.52

Scanned by CamScanner